**अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2020 (GCMS 2020/00035) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर**

**08.02.2021**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 31.12.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

**मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. **जिला कोषाधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक स्टाम्प शाखा/2019/77 दिनांक 18.02.19 में अकिंत तथ्य कि वर्ष 2001–02 में जिला मुख्यालय पर स्टाम्प बेनर्स क्रियाशील 27 थे। उनके नाम व लाईसेंस नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
2. **वर्ष 2000–01 में जिन स्टाम्प वेन्डरस द्वारा विक्रय रजिस्टर जमा कराये गये है उनके नाम व लाईसेंस नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
3. **जिला कलक्टर के पत्रांक 1587 दिनांक 11.07.19 की पालना में गठित जाचं कमेटी की रिपोर्ट व प्रमाणित प्रति।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**नोडल अधिकारी,** सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./03/2019/06–07 दिनांक 01.01.2020 से प्रार्थी का आवेदन पत्र उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया है और जिला कोषाधिकारी, श्रगंगानगर ने अपने पत्रांक स्टाम्प शाखा/2019/77 दिनांक 18.07.2019 से जिला पंजीयक (कलक्टर), श्रीगंगानगर को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

**उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प09(34)वित्त/ग्रुप–4/88 दिनांक 02.11.91 के अन्तर्गत श्रीमान महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेंर के पत्रांक एफ/582/मुद्रांक/466–98 दिनांक 04.03.1994 अनुसार "मुद्रांक विक्रेताओं के अनुज्ञापत्र जारी करने/निरस्त करने एवं अनुज्ञा पत्रों के नवीनकरण का कार्य तुरन्त प्रभाव से पदेन कलक्टर (मुद्रांक) सम्पादित करेंगें" व "मुद्रांक विक्रेताओं के अनुज्ञापत्रों से सबंधित पंजीकायें एंव रेकार्ड का हस्तांतरण अति शीघ्र सम्पन्न करा दिया जावे ताकि माह अप्रेल 1994 से पूरे राज्य में मुद्रांक विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्रों से सबंधित कार्यवाही विभागीय उपमहानिरीक्षणगण एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा सम्पादित की जा सके।"**

**श्रीमान महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेंर के पत्रांक 655 दिनांक 11.06.2001 के द्वारा इस कार्यालय को प्रतिलिपि जारी करते हुए, श्रीमान उपनिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक) वृत हनुमानगढ को निर्देशित किया गया कि "कोषालय में रखने का काई औचित्य भी नही है। नियमानुसार यह रजिस्टर आपके कार्यालय में ही जमा होने चाहियें। अतः आप इन रजिस्टरों आपके कार्यालय में जमा कर विभाग को अवगत करावें।"**

**कोषागार नियमावली 1999 की नियम 307–314 के अनुसार भी कोष कार्यालय स्टाम्पस को प्राप्त कर अपने डबल लॉक में स्टोर करते हुए सुरक्षित**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

रखेगा व श्रीमान उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक द्वारा जारी किये गये लाईसेंसी वेन्डर्स एवं आमजन को नियमानुसार स्टाम्पस विक्रय किये जावेगें। इस प्रकार कोषागार नियमावली में लाईसेंस जारी करने व निरस्त करने एवं वेन्डर्स द्वारा संधारित रिकार्ड को जमा करने का कोई प्रावधान नही है।

श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प विक्रय रजिस्टर वर्ष 2000–01 का एनजेएस रजिस्टर इस कार्यालय में जमा होना नही पाया जाता है। इस कार्यालय में ऐसे रजिस्टर जमा, करने का कोई रिकार्ड संधारित है, ना ही रजिस्टर जमा करने के आदेश है। श्रीमान जी के पत्र प्राप्ति के उपरांत एक कमेटी का गठन कर जांच करवायी गयी तो पाया गया कि जिला मुख्यालय पर स्टाम्प वेन्डर्स की सप्लाई पत्रावली अनुसार वर्ष 2001–02 में 27 क्रियाशील वेन्डर्स कार्यरत थे जिनको जिला कोष कार्यालय से सप्लाई उपलब्ध करवायी गयी थी जबकि वर्ष 2000–01 की अवधि के केवल 10 वैंडरर्स के एनजेएस विक्रय रजिस्टर भौतिक रूप से पुराने रिकार्ड में जमा पाये गये है।

भवदीय
-sd-
जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

**उक्त प्रतिवेदन के अनुसार सूचना** से सम्बन्धित अभिलेख उनके कार्यालय में जमा नहीं है। **अपीलार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2019 का जवाब जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उसके आवेदन दिनांक 31.12.2019 के सम्बन्ध में वांछित सूचनाओं के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। जबकि

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

**धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**

**परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

**चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा** अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में उत्तर दिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में उसे सूचित करें। अपीलार्थी ने उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ के विरूद्ध भी यह अपील पेश की

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील की सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षकर्त्ता अधिकृत नहीं है इसलिए अपीलार्थी उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ के समक्ष भी अलग से अपील पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। **आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(महावीर प्रसाद वर्मा)**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर